

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक: एफ 8(7)ग्रावि/अनु-8/2015/

जयपुर, दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण


शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न वैबसाइट के विकास के संबंध में दिनांक 2.7.2015 को बैठक में निम्न निर्देश दिये गये।

1. पुनर्गठित ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों के सिफ्टिंग का कार्य के संबंध में मुख्यालय पर 7-8 जुलाई को आईडब्ल्यूएमएस में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु जिलों के अधिकारी व कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाए।
2. जिलेवार रिपोर्ट में कार्य शुरू नहीं करने का कॉलम एनआईसी द्वारा जोड़ा जायेगा।
3. आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में एसएमएस अलर्ट 15 दिन में एक बार तथा ईमेल प्रत्येक सप्ताह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलक्टर एवं मुख्यालय के योजना प्रभारी को भेजे जाने का प्रावधान एनआईसी द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में आने वाले व्यय को विभाग वहन करने पर सहमत है। इस संबंध में एनआईसी को पत्र लिखा जाए।
4. ऑन लाईन भुगतान का समावेश सोफ्टवेयर में किया जाना है। इस पर बाद में विचार किया जायेगा।
5. योजनाओं की स्वीकृति में डबटेल का प्रावधान किया जाये।
6. विभाग द्वारा वैबसाइट पर सभी सर्कुलर्स डाले जा रहे हैं यह प्रोग्रामर सुनिश्चित करेगा। योजना प्रभारी विभागीय वैबसाइट पर सर्कुलर अपलोड कराने के लिए ईमेल info-rdprd@nic.in पर अपनी सूचना भिजवायेंगे।
7. आदेश अपलोड कराने के लिए वैबसाइट को डायनेमिक बनाया जाए। इसे विभाग निजी तौर पर एडिट करायेगा। जिससे सभी योजना प्रभारी अपने स्तर पर सर्कुलर अपलोड कर सकेंगे।
8. डीजिटल इण्डिया कार्यक्रम के संबंध में एनआईसी सोमवार दोपहर 2 से 2.30 तक प्रस्तुति करवा देगा।


परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग
2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी, ग्रा.वि. विभाग
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग
6. अधिशाषी अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
7. मुख्य प्रणाली विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग


परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)